

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

जयपुर, दिनांक: 06.10.2023

क्रमांक : प. 18(2)स्था./ गृह-10/ 16

आदेश

गृह विभाग के आदेश प. 16(19)(1)विविध/अभि/2020 दिनांक 29.09.2023 द्वारा अभियोजन सेवा का पुनर्गठन किया गया है। उक्त पुनर्गठन से पूर्व विभाग में संभाग स्तर पर उप निदेशक अभियोजन के पद स्वीकृत थे। पुनर्गठन पर अब संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक अभियोजन के स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में संभाग स्तर पर पदस्थापित उप निदेशक अभियोजन का पदस्थापन संभाग स्तर पर स्वीकृत संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद पर वर्तमान पदस्थापन संभाग में (वर्तमान वेतन पर) निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि0वि0
1.	श्री किशोर कुमार हर्षवाल	उप निदेशक अभियोजन, (राज.उच्च न्यायालय) जयपुर	संयुक्त निदेशक अभियोजन, (राज.उच्च न्यायालय) जयपुर	कॉडर रिव्यू पर पद विरुद्ध
2.	श्री मुरारीलाल पारिस	उप निदेशक अभियोजन-प्रथम जयपुर, (पद विरुद्ध)	संयुक्त निदेशक अभियोजन-प्रथम जयपुर	कॉडर रिव्यू पर पद विरुद्ध
3.	श्री कमल कुमार शर्मा	उप निदेशक अभियोजन, (सर्तकता) जयपुर	संयुक्त निदेशक अभियोजन, (सर्तकता) जयपुर	कॉडर रिव्यू पर पद विरुद्ध
4.	श्री अशोक कुमार जैन	उप निदेशक अभियोजन (एसीबी) जयपुर	संयुक्त निदेशक अभियोजन (एसीबी) जयपुर	कॉडर रिव्यू पर पद विरुद्ध
5.	श्री मंगलचन्द मीना	उप निदेशक अभियोजन (एसीबी) जयपुर (पद विरुद्ध)	संयुक्त निदेशक अभियोजन (एसीबी) जयपुर	कॉडर रिव्यू पर पद विरुद्ध
6.	श्री अशोक कुमार बन्नावत	उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर	संयुक्त निदेशक अभियोजन, भरतपुर	कॉडर रिव्यू पर पद विरुद्ध
7.	श्री राजेन्द्र तँवर	उप निदेशक अभियोजन, बीकानेर	संयुक्त निदेशक अभियोजन, बीकानेर	कॉडर रिव्यू पर पद विरुद्ध
8.	श्री जोराराम	उप निदेशक अभियोजन, जोधपुर	संयुक्त निदेशक अभियोजन, जोधपुर	कॉडर रिव्यू पर पद विरुद्ध
9.	श्री थानेश्वर राठौड़	उप निदेशक अभियोजन, (राज.उच्च न्यायालय), जोधपुर	संयुक्त निदेशक अभियोजन, (राज.उच्च न्यायालय), जोधपुर	कॉडर रिव्यू पर पद विरुद्ध
10.	श्री राकेश कुमार झा	उप निदेशक अभियोजन, कोटा	संयुक्त निदेशक अभियोजन, कोटा	कॉडर रिव्यू पर पद विरुद्ध
11.	श्री ओमप्रकाश मेहता	उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर (पद विरुद्ध)	संयुक्त निदेशक अभियोजन, उदयपुर	कॉडर रिव्यू पर पद विरुद्ध

श्री किशोर कुमार हर्षवाल, संयुक्त निदेशक अभियोजन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर (पद विरुद्ध) अपने कार्य के साथ-साथ संयुक्त निदेशक अभियोजन, द्वितीय जयपुर महानगर के रिक्त पद का कार्य भी संपादित करेंगे।

इसी प्रकार सुश्री अल्का गहलोत, सहायक निदेशक अभियोजन (एसीबी) अजमेर अपने कार्य के साथ-साथ संयुक्त निदेशक अभियोजन, अजमेर के रिक्त पद का कार्य भी संपादित करेंगी।

संबंधित अधिकारी उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

एवं निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान
4. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस एसीबी।
5. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
6. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
9. समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
10. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
11. संबंधित अधिकारी -----।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, गृह (सिद्धि)
राजस्थान, जयपुर